Regional Office



Rajasthan State Pollution Control Board



Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001 Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

कमांक:--राप्रनिम/क्षेoका०/सीकर/सामा-233/2025-26/ २००

दिनांकः 2-8 -04 -2<

निविदा / बोली सूचना संख्या -01 / 2025-2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदको/फर्मो से निम्नान्सार निविदायें आमंत्रित की जाती है:-

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि [लाखो मे]	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपन्न खोलने की तिथि व समय
2	प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक — 3 प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक — 1	5.00	500	06.05.2025 कार्यालय समयानुसार	06.05.2025 कार्यालय समयानुसार	07.05.2025 प्रातः11.30 बजे

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो (Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board) Payable at Sikar प्रस्तृत होगा। राशि 10000 / – का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर " प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने / रदद करने का निर्णय अंतिम होगा।

> (सविता) क्षेत्रीय अधिकारी दिनांक:

कमांक:-राप्रनिम / क्षे0का० / सीकर / सामा-233 / 2025-26 / प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् -

्रा. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईट पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।

2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ।

Signaturewalid

Digitally signed by Designation

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 14977965

PEpols

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board



Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001 Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

Annexure I

-: तकनीकी बोली प्रपत्र :--

(लिफाफा न0 1)

कार्य	का	नाम -	– प्रबोध	ान केन्त्र	र हेत	क्षेत्र	सहायक	/	प्रयोगशाला हे	त	वैज्ञानिक	सहायक	हेत	निविदा"
						71.71	VICT 11	/	A TI I VII VII Q	'	9 2111 197	VIGIA41	$\alpha \alpha$	1 11441

1.	संदभ :-	क्षेत्रीय काय	लिय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर की बोली सूचना
			संख्या – दिनांक
2.	बोलीदाता / संवेदक	का नाम	;
3.	डाक का पता		:
	फोन / मोबाईल नं.		;
	ई—मेल		; _
6.	बैंक का नाम		:
	आईएफएससी कोड		;
	खाता संख्या		:
7.	किसको सम्बोधित वि	केया गया है	:- क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर
8.	बोली शुल्क रूपये		:(1) 500 / — रू (पांच सौ मात्र)
			(2) जमा रसीद संख्यादिनांकदिनांक
	,		डीडी क्रमांक दिनांकराशि
9.	बोली प्रपत्र में वर्णित	समस्त शर्ते	स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10.	प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षे	त्र सहायक	/ प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में
	अंकित कर दी गई ह		3
11.	अमानत राशि 1000	0/- का र	डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर
	के नाम से निविदा प्र		
			बैंक का नाम
40	-		
12.	सलाग प्राइस शिष्यू	ूल म पाणत रि.चे क्ल्ल्स	दरे बोली स्वीकृति से दिनांक 31.03.2026 तक मान्य होगी। इस अवधि
			पर बढाया भी जा सकेगा।
13.	बालादाता/सवदक	द्वारा निम्नति	निखत पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा
	तथा उक्त पंजीकरण	प्रमाण पत्रों	की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी :-

क्र.सं.	. विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार बचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।			ature	
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952		Digitaliy s Designati	igned by Son AEnviror	nental
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		Engineer	5.04.88 6	

4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)					
5.	आयकर (पैन नम्बर)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					
7.	फर्म के अन्तिम तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25) के अंकेक्षित अंतिम खाते। Assessed Turn over 10 lacs or above			2		
8.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र					
9.	प्रमाणित बैंक खाता पास बुक / स्टेटमेन्ट की छायाप्रति					

14. मण्डल द्वारा उक्त कराये जो वाला कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण निविदादाता द्वारा इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों के पास राज्य प्रदूषण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम जिसमें नमूनों के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने/करने का न्यून्तम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगा:—

क्र.सं.	विभाग / संस्थान का	उपलब्ध कराये गय क्षेत्र	उपलब्ध करवाये गये	संबंधित विभाग
	नाम	सहायक , वैज्ञानिक	क्षेत्र सहायक, वैज्ञानिक	/संस्थान से जारी
		सहायक का आदेश	सहायक की समयावधि	संतोषजनक सेवा का
		विवरण एवं संख्या	* *1	प्रमाण पत्र का अंकन
	€			
1			-	

15. मैं / हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा जारी की गई सीमित बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक................. दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त सीमितबोली आमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के	हस्ताक्षर	मय	सील	
नाम .			•••••	
मोबाईल न.	_			

Signature yalid

Digitally signed by Say a Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST

प्राईस–शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं. 2)

कार्य का नाम - प्रबोधन केन्द्र हेत क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेत वैज्ञानिक सहायक हेत निविदा"

कार्य की नाम - प्रवाधन केन्द्र हतु बात्र तहायक / प्रयागशाला हतु प्रशामक तहायक हतु गामपा								
क्र.सं.	कार्य की	कार्य हेतु	श्रम	सेवा	EPF	ESI	सेवा	कुल
	प्रकृति	आवश्यक	विभाग	प्रदाता	दर	दर	प्रदाता	राशि
		मानव	द्वारा	द्वारा	प्रतिशत	प्रतिशत	का	
		संसाधन	निर्धारित	प्रस्तुत			सर्विस	
		की	न्यूनतम	प्रति			चार्ज	
		अनुमानित	मजदूरी	व्यक्ति			राशि	
		संख्या		दर				
1	2	3 .	4	5	6	· 7	8	9
1	प्रबोधन केन्द्र							2 0
,	हेतु क्षेत्र	कुशल (03)	8034		13.00	3.25		
	सहायक	3 (55)	0051		(नियोक्ता)	(नियोक्ता)		
	, , ,							
2	प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक	उच्च कुशल	0224		13.00	3.25		
	पज्ञाानक सहायक	(01)	9334	,	(नियोक्ता)	(नियोक्ता)		
								17, 1

- 1. उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
- 2. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- 3. कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यूनतम 1/- रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/- रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। राशि पूर्णाक में ही भरी जावे।
- 4. सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रचलित बाजार दर के अनुरूप होना चाहिए।
- 5. न्युन्तम (L-1) का निर्धारण कुल लागत के आधार पर किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर नाम -

Signature valid

Digitally signed by Say Designation Environm

Engineer Date: 2025.04.28 Reason: Approved 6:08:55 IST

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र 50 रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र

मैं / हम धोषणा करते हैं कि मैं / हमने बोली की समस्त जानकारी / शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछित मशीन / उपकरण / प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एव नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाए।

> निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर पूर्ण पता मो.नम्बर

Signature valid

Digitally signed by Say a Designation Environmental Engineer Date: 2025.04.28 6:08:55 IST Reason: Approved

Regional Office



Rajasthan State Pollution Control Board



Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001 Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

General Trems& Conditions of Bid & Contract

कार्य का नाम – प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक हेतु निविदा" Important Instructions :- The law relating to procurement "The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

- 1. बोलीदाता को बोलियाँ पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेत् वैज्ञानिक सहायक के लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत राशि 10000/— का डीडी क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान प्रदूपण नियन्त्रण मण्डल सीकर के नामु देय बोली के साथ आवश्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तों के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो / होने चाहिए। द्वितीय लिफाफा जिस पर प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर " प्रबोधन केन्द्र हेत् क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला हेत् वैज्ञानिक सहायक हेतू निविदा " अंकित कर प्रस्तूत करने होंगे।
- 2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure। &।। अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
- 3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
- कार्य के समय लागू जी०एस०टी० की दरें अतिरिक्त देय होगी।
- बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में अमानत राशि जमा कराने का प्रमाण, तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 9 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं बोली प्रपत्र एवं शर्ते मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।
- 6. बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम , ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
- 7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदृषण नियंत्रण मण्डल, सीकर को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
- 8. संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगा जब तक की वह / वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतू सहमत न हों और क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदृषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेत् सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
- 9. बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पेन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।
- 10. दरे अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रृटि या उपरिलेखन र ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनिद्धांकी इश्वाबरी by Say जावेगी।

Date: 2025.04.38 6:08:55 IST

Reason: Approved

6

- 11. दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से 31.03.2026 तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
- 12. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रमावी रहेगें।
- 13. न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 14. संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भूगतान किया जायेगा।
- 15. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 16. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 17. संवेदक / बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक / बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक / बोलीदाता को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान
- 18. निविदादाता / संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- 19. संवेदक् / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- 20. न्यूनतम निविदा दरें एक से अधिक निविदा दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा। क्षेत्रिय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाएं कार्य करने की क्षमता, वार्षिक टर्नओवर, स्थानीय परिस्थितियों में कार्य अनुभव आदि को मददेनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा और न ही कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस कम में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं होगी।
- 21. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 22. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तू एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 23. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्घारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक / बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 24. यदि संवेदक / बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य को किया होता हैतो उपनी संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्ला के क्षेत्रीय अधिकारी का क्षेत्रीय अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकारी के क्षेत्रीय के के क्षेत्रीय के क्षेत्रीय के के क्षेत्रीय के क्षेत्रीय के क्षेत्रीय के के क्षेत्री सीकर, न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित् श्रिक्तिः स्विति प्रतिकार अनुबंधित् श्रिक्तिः प्रतिकार प्रतिकार का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा Designation Environmental

Engineer Date: 2025.04.28 6:08:55 IST Reason: Approved

25. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।

26. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस. आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके

लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

27. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती हैं तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की

28. क्षेत्र सहायक /वैज्ञानिक सहायक को पर्यावरण एयर मॉनिटरिंग के क्षेत्र में कार्य का न्यून्तम 02 वर्ष का अनुभव होना

आवश्यक है।

29. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सिम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।

30. सीमित बोली में सफल बोलीदाताओं / संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने

पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

31. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनिधक कालाविध के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन क्षेत्र सहायक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

32. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

33. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

34. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यादेश जारी होने की तिथि के सात दिनों के अन्दर अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अविध में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें

35. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।।

36. मूल्यांकन की कसौटी- सीमित बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

37. बोलियों का अपवर्जन :— अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

38. सफल निविदादाता को नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

39. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):--

(अ) बोली आंमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) संफल बोली लगाने वाले की दशा, में आमानत राशि की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि स्डिक्टिया विकार्य

सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगत Aigitallon is nvivor nental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST Reason: Approved

- 40. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

41. भुगतान:-

- (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 05 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 42. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर से सम्पर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम व पता

Signature valid

Digitally signed by Say (a Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.88 6:08:55 IST

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण:—

सीकर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है:-

(117.	7,11-1, 1, 1, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100 May 100 Ma
क.स.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहा
		नमूने जमा कराने हैं
1	क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, सीकर	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य
2	RIICO कार्यालय, सीकर	प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ,सीकर
3	नगर परिषद, सीकर	77, 111, 21, 100, 7,11, 1

- 1. परिवेशीय वायु गुणवता केन्द्र पर <u>क्षेत्र सहायक</u> से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्य:—
 (अ) कार्य का विवरणः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) सीकर स्थित तीन (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler) सुरक्षा (Safety and Security) वायु नमूनों का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आकडो (National Air Quality Monitoring, Data Sheet) सिहत विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सीकर को शीघ्रताशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना। परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनो की संख्या मे कमी वृद्धि की जा सकती है। (ब)निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
 - (स) प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।
 - (द) वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के सचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/कर्मी नियुक्त किया जायेगा।
- 2. आपात स्थिति एवं दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रो पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मदोरी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- 3. क्षेत्र सहायक (Field Assistant) / कर्मी की न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण होनी आवश्यक है ।
- 4. मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय—समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई किमयों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी किमयों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

Signature yalid

Digitally signed by Say (a Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST

प्रबोधन केन्द्र हेत् क्षेत्र सहायक की कार्य सम्पादन हेत् सामान्य शर्ते

- 1. निविदादाता को सीकर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतू निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- 2. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की श्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये धरोहर राशि / कार्य प्रतिभृति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने एवं उनके विरूद्व कानुनी कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल. सीकर को होगा।
- 4. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
- 5. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
- 6. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे । आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Serviceing and repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) कर्मी की कर्तव्य निष्ठा सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा क्षेत्र सहायक (Field Assistant) कर्मी द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारीं को सूचित करना होगा । यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) कर्मी की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आंकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि / उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा ।
- 7. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षित होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति / मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 10. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा । मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।
- 11. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये देका निरस्त कर जमा कार्य प्रतिभृति राशि Signature valid जब्त कर ली जायेगी।
- 12. टेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जिला की जिला की निर्णय Designation Environmental अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- अन्तिम हागा जा ठकदार का नाप लगा। 13. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्राप्तिकार प्राप्तिकार
- 14. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव स्टिबेंड की. Approved

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

- 1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा ।
- 2. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतू ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिको को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेत् ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा
- 3. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है
- ठेकेदार / संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायको की आयु 18 वर्ष से कम नही होगी।
- 5. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
- 6. ठेकेदार / संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मको आदि को काई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था के करनी होगी।
- 7. ठेकेदार / संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
- 8. ठेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) / कर्मी के संबंध मे विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा । राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा।
- 9. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बिना (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगें इस हेतु कोई अतिरिक्त भगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।
- 10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है
- 11. ठेकेदार / संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा / श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा ।
- 12. ठेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार / संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा । इस सम्बन्ध में यदि क्षेत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लिम्बत भुगतान या कार्य प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी।
- 13. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों / कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
- 14. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभृति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
- 15. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
- 16. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लिम्बत हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था के पुनि कि वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।

प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।

Digitally signed by Sav a

17. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थित में यदि Designation र्रे कर यह की मण्डल कायालय द्वारा ।करा ना नारारना । लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा सम्मिश्रांजैंटिला सक Date: 2025.04.28 6:08:55 IST

- 18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि 31.03.2026 तक की होगी । जिसे आपसी सहमति से बढाया जा
- 19. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, सीकर) का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
- 20. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) / कर्मी द्वारा नमूने के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी कि निर्देशानुसार प्रयोगशाला मे नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

21- शास्ति (Penalty)

- (1) ठेकेदार / ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Paymment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
- (2) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य मे लापरवाही करने पर उन दिनों का भूगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप मे वसूली जायेगी।
- (3) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- 22. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार सीकर होगा।
- 23. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।
- 24. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक:—			हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
			हस्ताबर ।नावदादाता मय माहर
		नामः	
		पताः	

Signature valid

Digitally signed by Sayla Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 Reason: Approved 6:08:55 IST

प्रयोगशाला हेत् वैज्ञानिक सहायक की कार्य सम्पादन हेत् सामान्य शर्ते

- 1. परिवेशी वाय गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के साथ-साथ मण्डल द्वारा समय-समय पर दिथे जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।
- वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (विज्ञान) (Enviornment, Chemistry, Soil science, Microbiology, Biotechnology) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है तथापि राज्य मण्डल के सेवानिवृत कार्मिक जिनकों प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है एवं विज्ञान में रनातक परीक्षा उत्तीर्ण है वे भी उक्त पद के लिए योग्य है।
- प्रयोगशाला प्रभारी / वैज्ञानिक अधिकारी / अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय—समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई किमयों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी किमयों का ठेकेदार/संस्था द्वारा त्रन्त निराकरण करना होगा।
- 4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की रिथिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर को होगा।
- 6. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
- 7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
- 8. अनुबन्ध की अवधि 31.03.2026 तक होगी जिसे पारस्परिक सहमति एव कार्य सन्तोषप्रद होने पर बढाया जा सकेगा।
- 9. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे । आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Servicing and repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) / कर्मी की कर्तव्य निष्ठा सुचारू रूप से मशीन के संचालन / संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन / प्रचालन के रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा । यदि ठेकेदार या उसके वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठींक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भूगतान में से वसूल कर सकेगा ।
- 10. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया
- 11. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति / मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 12. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन
- नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार **जिया विद्या कि अन्तर्गत** उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार **जिया विद्या विद** Designation Environmental किसी भी प्रकार का भूगतान नही किया जायेगा।
- 14. टेके की शर्तों का उल्लंधन करने पर बिना कोई नोटिस दिये टेका निर्णाटिक जम् राश जब कर Date: 2025.04.88 6:08:55 IST Reason: Approved

- 15. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 16. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिको को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रिमको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भूगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो इस हेतू ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा ।
- 17. ठेकेदार / संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये वैज्ञानिक सहायको की आयू 18 वर्ष से कम नही होगी। किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का नियोजन नही किया जावेंगा
- 18. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
- 19. ठेकेदार / संस्था को राज्य मण्डल के क्षेत्रिय / वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतू बूलाया जावेगा तो वह तूरन्त उपस्थित होगा।
- 20. ठेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) / कर्मी के संबंध मे विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानुनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार / संस्था का होगा । राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा।
- 21. प्रभावी श्रम एवं अन्य समिबन्धत कानुनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और जीएसटी आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगें इस हेतु कोई अतिरिक्त भूगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।
- 22. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानुनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है
- 23. ठेकेदार / संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा / श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार / संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा ।
- 24. टेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार / संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा । इस सम्बन्ध में यदि क्षेत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्थाके लिखत भुगतान या अमानत राशि से वसूल की जायेगी।
- 25. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों / कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
- 26. टेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
- 27. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व नियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
- 28. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लिम्बत हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार / संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
- 29. मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
- 30. मण्डल द्वारा कराये जाने वाला कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कि विशिष्ट कि विशिष्ट प्रकृति का होने के कि विशिष्ट कि विशिष्ट होतु उक्त कार्य का अनुभव वाली एजेन्सी को अन्य चीजें सही होने पर शिद्धां शिक्षण होता की स्कर्त ay la Designation Enviror nental

Date: 2025:04:28 8:08:55 157 Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

- A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
- 1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
- a. have controlling partners/ shareholders in common, or
- b. receive or have received any direct or indirect Signature of yalling
- Digitally signed by Say (a c. have the same legal representative for purpo@esignatBit/ Environmental

Date: 2025.04.28 /6:08:55 IST

- d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer in charge / consultant for the contract.

Signature yalid

Digitally signed by Savka Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to	for
procurement of	in response to their Notice Inviting Bids
No Dated	I/We hereby declare under
section 7 of Rajasthan Transparency in publi	
and competence required by the Bidd 2. I/We have fulfilled my/our obligation the State Government or any local au 3. I/We are not insolvent, in receiversh affairs administered by a court or a just suspended and not the subject of legal 4. I/We do not have, and our director criminal offence related to my/our statement or misrepresentations as to contract within a period of three procurement process or not have be proceedings.	anal, technical, financial and managerial resources ing Document issued by the Procuring Entity; to pay such of the taxes payable to the Union and thority as specified in the Bidding Document; hip, bankrupt or being wound up, not have my/our adicial officer, not have my/our business activities a proceedings for any of the foregoing reasons; as and officers not have been convicted of any professional conduct or the making of false my/our qualifications to enter into a procurement years preceding the commencement of this en otherwise disqualified pursuant to debarment set as specified in the Ac, Rules and the Bidding air competition;
Date:	Signature of bidder
Palace:	
Name:	
	-
Designation:	 Signature valid
Address:	Digitally signed by Say a Designation Environmental Engineer Date: 2025.04.28 6:08:55 IST Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary, RSPCB Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairperson, RSPCB Jaipur

Filing an appeal (1)

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the (2) date of the appeal.
- If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is (3) aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

Appeal not to lie in certain cases. **(4)**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;

(d) cancellation of a procurement procurem

Digitally signed by Say Designation Anniver nental Engineer

Date: 2025.04.28 Reason: Approved 6:08:55 IST

Form of Appeal (5)

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Fee for filing appeal (6)

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non - refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal **(7)**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Say Designation Environ Engineer

Date: 2025.04.88 6:08:55 IST

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No of..... Before the(First /Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant: Name of the appellate: Official address, if any: (ii) Residential address: (iii) 2. Name and address of the respondent(s): (i) (ii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative; 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: 6. Grounds of appeal: (Supported by an affidavit) 7. Prayer: Place:.... Date:..... Appellant's Signature

Signature yalid

Digitally signed by Say a Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST

Annexure D: Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors 1.

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis:

- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by i. multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;
- if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, iii. unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

Procuring Entity's Right to Vary Quantities 2.

- At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.
- If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by (iii) placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Go within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail do so, the Digitally signed by Savia

 Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supplied the procuring and the supplier of the balance supplied the supplier of the supplier of the balance supplied the supplier of the balance supplied the supplier of the supplier fail of t Procuring Entity shall be free to arrange for the balance persylviation and the extra cost incurred shall be recovered from the supplied of 6:08:55 IST

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Say (a Designation Environmental Engineer

Date: 2025.04.28 6:08:55 IST